सर्व सेवा संघ
(अखिल भारत सर्वोदय मंडल)
SARVA SEVA SANGH
(Akhil Bharat Sarvodaya Mandal)
महादेवभाई भवन, सेवाग्राम,वर्धा-442102 (महाराष्ट्र)
Mahadevbhai Bhavan, Sevagram, Wardha – 442102 (Maharashtra)
Phone No. 07152 - 284061, 284091 ; FAX : 284152
E - mail : sarvasevasangh@yahoo.in / sarvasevasangha@hotmail.com / sarvaseva.sarvodaya@gmail.com

पत्रांक नं. : T/67/332/2023-24 दिनांक : 10 जनवरी 2024

प्रेस विज्ञप्ति

बलात्कारियों की रिहाई रद्द करने के फैसले के व्यापक निहितार्थ – बिल्कीस बानों केस के सन्दर्भ में

बिल्कीस बानों के दोषियों की रिहाई को उच्चतम न्यायालय ने इस आधार पर रद्द कर दिया कि ऐसा निर्णय लेना गुजरात उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर था. इस तरह का फैसला महाराष्ट्र उच्च न्यायालय ही ले सकती है. क्योंकि दोषियों को सजा महाराष्ट्र के न्यायालय द्वारा दी गयी थी. यह चिन्ता का विषय है कि गुजरात उच्च न्यायालय ने दोष सिद्ध अपराधियों को रिहा करने का निर्णय लेते समय अपने क्षेत्राधिकार को नहीं समझा एवं अपने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर निर्णय लिया. हम नहीं जानते कि यह अपवाद है, या संवेधानिक संस्थाओं के क्षरण का एक और उदाहरण.

सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचार नहीं किया कि हत्यारों और बलात्कारियों को कोई पश्चाताप था या नहीं. या रिहा होने के बाद उनका भविष्य का आचरण साम्प्रदायिक घृणा एवं उन्माद से मुक्त होगा या नहीं. इन हत्यारों एवं बलात्कारियों की रिहाई के बाद जेल के बाहर के नफरती उन्मादियों द्वारा उनका स्वागत एवं महिमा मंडन किया गया. यह महिमा मंडन इस आधार पर किया गया कि दोषियों ने किसी धर्म-विशेष के लोगों की हत्या की थी और बलात्कार किया था. इस पहलू पर ध्यान देना, सर्वोच्च न्यायालय या कोई अन्य न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर समझता है. स्पष्ट है कि जिस प्रवृत्ति को रोकने के लिये सजा दी गयी थी, वह प्रवृत्ति तभी नियंत्रित हो पायेगी जब समाज इस प्रवृत्ति के लोगों की भर्त्सना करे और इनका सामाजिक बहिष्कार करे. अन्यथा यह प्रवृत्ति और बढ़ेगी. क्षदम धर्म और राष्ट्र को जोड़नेवाले लोग इन प्रवृत्तियों को बढ़ायेंगे ही.

इसलिये समझना होगा कि यह मुद्दा केवल बिल्कीस बानों के प्रति अपराध करने वालों का नहीं है. ये समाज में फैली दो विचारधाराओं, दो प्रवृत्तियों के बीच टकराव का मुद्दा है. सर्व सेवा संघ अपनी पूरी ताकत से नफरत और उन्माद की शक्तियों से लड़ता रहेगा, और अहिंसा, प्रेम व करुणा की शक्तियों को समाज में प्रतिष्ठित करने के लिये निरन्तर प्रयत्नशील रहेगा.

इस बात को भी रेखांकित करने की आवश्यकता है कि कहीं इन नफरती उन्मादियों को राजनीतिक संरक्षण या सत्ता का संरक्षण भी तो प्राप्त नहीं है. यदि ऐसा है तो संविधान, कानून व न्याय विरोधी उन राजनीतिक शक्तियों एवं सत्ता का दुरुपयोग करने वाली शक्तियों का भी पुरजोर विरोध करना होगा.

समाज के एक वर्ग में एक दो-मुखी संवेदनशीलता का भी निर्माण किया जा रहा है. यह वर्ग बलात्कार जैसी घटना पर आरोपियों को तत्काल गोली से उड़ा देने की हिमायती है. कंगारू न्याय व बुलडोजर न्याय की पक्षधर है. लेकिन वही वर्ग एक भिन्न पैमाना अपनाती है जब किसी धर्म विशेष के लोगों की हत्या होती है, या उनका बलात्कार होता है. ऐसी स्थिति में ये वर्ग या तो चुप्पी साध लेता है या दोषियों का महिमा मंडन करता है. एक गहरे स्तर पर, समाज में फैलाई जा रही इस दोहरी संवेदनशीलता/संवेदनहीनता के खिलाफ एक लम्बी सामाजिक, सांस्कृतिक क्रांति के अभियान में भी, सर्व सेवा संघ सभी को एकजुट करने का काम करेगा.

(चंदन पाल)
अध्यक्ष
सर्व सेवा संघ, सेवाग्राम